BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No. 147 /2024

IN THE MATTER OF:

Hardeep Sharma ...Applicant

Versus

Ramesh Chand Aarya & Ors. ...Respondents

NDOH: 30.07.2024

Index

SL. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Status report by way of affidavit on behalf of the Chief Horticulture Officer, Udham Singh Nagar, Uttarakhand in compliance with directions passed by the Hon'ble NGT vide its order dated	
2	**Annexure A:** An application to cut trees by the applicant.	
3	**Annexure B:** The official letters sent by the undersigned.	

Scanned with OKEN Scanner

4	**Annexure C:** Joint Inspection report ordered by CHO, Uddhamsingh nagar.	
5	**Annexure D:** An Application for re-inspection by Applicant.	
6	**Annexure E:** Letter sent by CHO to Sub collector Kashipur, UddhamSingh Nagar.	
7	**Annexure F:** Inspection report by Joint Committee constituted by Tehsildar, kashipur.	
8	**Annexure G:** CHO order to cut down trees on the recommendation of Joint Committee.	
9	**Annexure H:** Receipt of fine Rs 4.4 lakhs.	
10	**Annexure I:** Letter by the CHO to DFO, TERAI, Western Forest Division , Ram nagar, Nainital to form a joint Committee to reexamine excessive tree cutting	
11	**Annexure J:** Copy of the attendance of all present at the time of counting of trees.	
12	**Annexure K:** Inspection Report of the Committee.	
13	**Annexure L:** Detailed report of a joint inspection conducted on 16th April & 8th April 2024 and 10th May 2024.	

14	**Annexure M:** Joint Committee report as per the direction of the NGT order dated 15th Feb 2024.	
15	**Annexure N:** Letter by CHO to regional Senior Horticulture inspector, Kashipur for necessary cooperation with Forest department.	

BHAVNA JOSHI
Chief Horticulture Officer,
Udham Singh Nagar,
Uttarakhand

Filed By

DEEPAK BORA
Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India
New Delhi-110001
Mobile No. 9971578987

Scanned with OKEN Scanner

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Original Application No. 147 /2024

IN THE MATTER OF:

Hardeep Sharma ...Applicant

Versus

Ramesh Chand Aarya & Ors. ...Respondents

NDOH: 30.07.2024

Status report by way of affidavit on behalf of the Chief Horticulture Officer, Udham Singh Nagar, Uttarakhand in compliance with directions passed by the Hon'ble NGT vide its order dated 15.02.2024.

I, **BHAVNA JOSHI,** presently posted as Chief Horticulture Officer, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file a present Response by way of an Affidavit as Chief Horticulture Officer, Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

NOTARY D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S. Nagar) R.No.17(03)/2003 GOVT OF UTTARAKHAND (INDIA)

Scanned with OKEN Scanner

2. That the above-mentioned matter was listed on 15.02.2024 before this Hon'ble Tribunal, after hearing, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order where in paragraphs no. 5 to 7, it was directed:-

> 5. *"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising representatives of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position, and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*
>
> 6. *Factual and Action Taken Report by the Joint Committee and reply/response by the respondents be filed within two months by email to judicial-ngt@gov.in, preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*
>
> 7. *List the matter on 25.04.2024 for further consideration."*

NOTARY
D.N. JAISWAL
Kichha-Pulbhatta
(U.S. Nagar)
R.No.17(03)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

3. That regarding the above, it is informed that an undated letter from Mr Manish Gupta, son of Mr Naresh Kumar Gupta from Chandpur Kashipur, was received by this office

on 04.08.2022. He deposited 50 kg of mangoes in khata no. 0027, Khasra No. 156. An application was submitted for approval to cut trees reported to be 70 to 80 years old. Separate applications were sent for approval to cut 50 mango trees and 25 litchi trees in account No. 0027, Khasra No. 157 by Mr. Sudhir Gupta, son of Mr. Suresh Gupta, resident of 31-A, Ashoka Enclave, South Delhi, which were submitted to this office on 04.08.2022. Additionally, an application from Mr. Nakul Kumar Gupta, son of Mr. Mahesh Kumar from Chandpur Kashipur, to cut down 60 mango trees in Khasra No. 146, 154, 155 of Account No. 0027 and 60 mango trees in Khasra No. 145, 147, 152, 153 of Account No. 0125, received on 08.08.2022, was also submitted to this office. The copy of the letters has been annexed herewith and marked as **Annexure A**.

NOTARY
D.N. JAISWAL
Kichha-Rudrapur
(U.S. Nagar)
R.No.17(03)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

4. That, following the applications received, the Uttarakhand Government Forest and Environment Section-3, vide its official communication No. 927/x. 3-2012/21(08)210, Dehradun, dated 30 November 2012, and in continuation of the undersigned's office letter number **787/Tak-2/Patan Nir./2022-23**, dated 12.08.2022, formed a joint team comprising three employees/officers to inspect the cutting down of 60 common plots of land . The same order, vide letter No. **784/Tak-2/Cutting down-Inspection/2022-23**, dated 02.08.2022, directed the inspection of 50 mango trees in Account No. 0027, Khasra No. 157, spanning 1.785 hectares. Furthermore, vide letter No. **786/Tak-2/Patan**

Nir./2022-23, dated 12.08.2022, the team was to inspect the felling of 50 mango trees in Account No. 0027, Khasra No. 156, covering 0.947 hectares, and vide letter No. **821/ Tak-2/Patan Nir./2022-23**, dated 22.08.2022, the felling of 25 litchi trees in Account No. 0027, Khasra No. 157, over an area of 0.706 hectares. These actions were undertaken to ensure compliance with environmental regulations and to address any grievances related to the proposed felling of trees. A copy of the same has been annexed herewith and marked as **Annexure B**.

NOTARY ★ D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S. Nagar) R.No.17(03)2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) ★

5. That in accordance with the orders issued by the Chief Horticulture Officer for inspection, an inspection was conducted on 19.12.2022 by Mr Jagdish Chandra Tiwari, Senior Horticulture Inspector from the Horticulture Mobile Team Center, Kashipur, and Mr K.L. Sagar, Senior Horticulture Inspector from the Horticulture Mobile Team Center, Kundeshwari. During this inspection, it was observed that neither the gardener nor any revenue department employee was present. Additionally, the essential documents, including Khata Khatuni and Khasra, were not available for verification. A copy of the inspection report has been annexed herewith and marked as **Annexure C.**

6. That the inspection report revealed several discrepancies, notably in the reported age of the trees. It failed to mention dry and diseased trees and omitted potential hazards posed

Scanned with OKEN Scanner

by power lines passing through the garden. The applicants, dissatisfied with these shortcomings and the overall findings of the inspection, submitted an application for another on-site inspection to ensure a thorough and accurate assessment of the situation. A copy of the same has been annexed herewith and marked as **Annexure D.**

7. That in response to the applicants' request, the undersigned issued a letter dated 03.01.2023 vide letter number **1911/ Tak-2/Paatan Niri/2022-23**, addressing the Joint Magistrate/Sub-Collector Kashipur, Uddham Singh Nagar. This letter requested the formation of a joint committee comprising representatives from both the Revenue Department and the Horticulture Department to conduct another on-site inspection. A copy of the said letter has been annexed herewith and marked as **Annexure E.**

NOTARY D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S. Nagar) R.No.17/03/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

8. That in response to the letter no. 1911 dated 03.01.2023, Tehsildar Kashipur, vide letter No. **40/Na Na/2023**, dated 12.01.2023, constituted a joint committee. This committee included Shri Ram Singh, Revenue Inspector, Area Kashipur; Ms Nirmala Manoula, Revenue Sub Inspector, Area Kashipur; Shri Revaghar Bhatt, Senior Horticulture Inspector from the Chief Horticulture Officer's office in Rudrapur; and Shri Shankar Lal Kohli, Senior Horticulture Inspector from Jaspur. Their mandate was to provide a comprehensive and accurate inspection report to address

Scanned with OKEN Scanner

the concerns raised. A copy of the said inspection report has been annexed herewith and marked as **Annexure F.**

9. That in compliance with the above instructions, the formed joint committee, on 13.01.2023, recommended the cutting down of the following trees in the specified land as given below:-

NOTARY ★ D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S.Nagar) R.No 17(03)/2003 ★ GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

LANDOWNER	KHATA NO.	KHASRA NO.	AREA (in	TREES
Mr Sudhir Kumar	0027	157	0.706	22 Lichi
Mr. Manish Kumar Gupta	0027	156	0.947	39 mango trees
Mr. Nakul Kumar Gupta	00125	145, 147, 152, 153	4.144	45 mango trees
Mr Sudhir Kumar	0027	157	1.785	44 mango

Thus, it was recommended to demolish 128 mango trees and 22 litchi trees, totalling 150 trees. Based on the recommendation of the Joint Committee, the undersigned office, vide letter number **2063/Tak-2/Fall Accepted/ 2022-23**, dated 19.01.2023, permitted the cutting down of 44 mango trees; vide letter number **2067/Tak-2/Fall Accepted/2022-23**, dated 19.01.2023, allowed the cutting

Scanned with OKEN Scanner

down of 39 mango trees; vide letter number **2069/Tak-2/ Fall Accepted/2022-23**, dated 19.01.2023, sanctioned the cutting down of 22 litchi trees; and vide letter number **2179/Tak-2/Falling-Accepted/2022-23**, dated 06.02.2023, authorized the cutting down of 45 mango trees, on a conditional note. Following the cutting of the 150 trees as permitted, a total of 325 new plants were planted in the garden to compensate for the loss and to maintain ecological balance. Copies of the said letters have been annexed herewith and marked as **Annexure G**.

NOTARY
D.N. JAISWAL
Kichha-Rudrapur
(U.S. Nagar)
R.No. 17(03)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND

10. That on the basis of the permission granted by the Horticulture Department for the cutting of 150 trees, the Forest Department undertook the cutting down and removal of the trees. During the clearance process, it was discovered that the number of trees cut exceeded the permitted amount. Upon investigation, it was found that instead of the 150 trees authorized, 238 trees had been cut. Consequently, the Forest Department imposed a fine of Rs. 4.40 lakh for the unauthorized cutting down of 88 excess trees. This information was communicated by the Forest Department, and a copy of the receipt has been annexed herewith and marked as **Annexure H**.

11. That Hardeep Sharma, Near Maharana Pratap Sports College, Raipur, Dehradun, vide Complaint No. 446812 filed through CM Helpline on 27.04.2023, raised concerns regarding the excessive cutting of fruit trees beyond the

Scanned with OKEN Scanner

permitted limits. Additionally, Harish Chandra, Mohalla Kashipur, P.O. Kashipur Udham Singh Nagar, vide Complaint No. 447825 filed through CM Helpline on dated 23.05.2023, lodged a complaint against Mr. Nakul Kumar, Mr. Sudhir Kumar, and Mr. Manish Kumar for allegedly cutting 1,100 mango and litchi trees. These complaints were referred to the Horticulture Department for investigation, and responses were sought from the landowners. The landowners informed that the contractor, Israt Ali of Village Pratappur, had cut more trees than permitted, resulting in the Forest Department recovering a fine for the excess felling of 88 trees. The undersigned requested the Divisional Forest Officer, Terai Western Forest Division, Ramnagar, Nainital, to form a joint committee comprising members from the Revenue Department, Forest Department, and Horticulture Department to re-examine the excessive tree cutting beyond the sanctioned limit, vide letter number 344/dated 03.06.2023. A copy of this letter has been annexed herewith and marked as **Annexure I**. The Revenue Department submitted an investigation report confirming that 88 trees were cut beyond the sanctioned limit. A subsequent joint investigation by the Horticulture Department and Forest Department also corroborated the felling of 88 trees in excess of the permitted limit.

NOTARY
D.N. JAISWAL
Kichha Rudrapur
(U.S. Nagar)
R.No.17(U.S.)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

12. That, in accordance with the instructions of the Additional District Magistrate of Udham Singh Nagar, acting as the representative of the District Magistrate, a joint inspection

was conducted under the chairmanship of the Sub-District Magistrate of Kashipur on 26.09.2023. Officers and employees from the Revenue Department, Forest Department, and Horticulture Department collectively inspected the garden and counted the standing plants. The garden owner's representative and the complainant, Mr Hardeep Sharma, were also present during the counting. A copy of the attendance of all present at the time of counting and the inspection report of the committee has been annexed herewith and marked as **Annexures J and K**, respectively. The inspection revealed the following numbers of plants: Mango - 505, Litchi - 320, Pear - 50, Jackfruit - 02, and Jamun - 02, totalling 879 plants. Apart from the 150 plants permitted for cutting down and the 88 plants cut without permission, for which a fine has been deposited by the Forest Department, there was no confirmation of the cutting of other plants.

NOTARY D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S. Nagar) R.No 17(03)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

13. That a detailed report was submitted following a joint inspection by the Horticulture Department, Revenue Department, and Forest Department, conducted on 16.04.2024, 08.05.2024, and 10.05.2024. This inspection uncovered discrepancies in the number of trees, with 176 trees found to be missing compared to the previous census. In response to these findings, a case was registered against the landowners, and the undersigned's office requested further action to be taken. This included legal measures to address the unauthorized removal of trees and to hold the

Scanned with OKEN Scanner

responsible parties accountable for their actions. A copy of the said reports has been annexed herewith and marked as **Annexure L.**

14. That in compliance with orders dated 15.02.2024 and 25.04.2024 of the National Green Tribunal, New Delhi in its Original Application No. 147/2024 named Hardeep Sharma Versus Ramesh Chandra Arya and Ors., a Joint Investigation Committee constituted consisting of Horticulture Department, Revenue Department and Forest Department. In the presence of the complainant, Shri Hardeep Sharma, and representatives of the land owners involving the department, the concerned site was inspected on 16.04.2024, 08.05.2024 and 10.05.2024 and counting of fruit plants was done. At the time of inspection, the number of trees standing at the spot was found to be as follows:-

Mango-411 (13 dried and others alive),

Litchi-263,

Pear-25,

Jackfruit-02.

Jamun-05,

total 703 trees

NOTARY
D.N. JAISWAL
Kichha-Rudrapur
(U.S.Nagar)
R.No.17(03)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

15. That according to the census of fruit trees conducted over the entire land area, 94 mango trees, 57 litchi trees, and 25 pear trees, totalling 176 trees, were found to be missing compared to the census done on 26.09.2023. The

representatives of the landowners informed that 165 of these trees had been relocated elsewhere. However, no permission had been obtained by the landowners for the relocation of these trees. There is no existing rule in the Forest Department or the Horticulture Department regarding granting permission for the relocation of trees. A copy of the joint inspection report of the constituted committee is annexed herewith and marked as **Annexure M.**

16. That in relation to the 176 trees found short as previously mentioned, a case has been registered by the Forest Department against the concerned landowners on 25.05.2024. The undersigned's office, vide letter number **233/NGT/2024-25**, dated 22.05.2024, issued a letter to the Regional Senior Horticulture Inspector, Kashipur, for necessary cooperation with the Forest Department in taking action under Sections 4 and 10 of the Forest Conservation Act, 1976. A copy of the same has been annexed herewith and marked as **Annexure N.**

17. That the present response by way of an Affidavit in compliance with the direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY ★ D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S.Nagar) R.No. 17(03)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) ★

DEPONENT

VERIFICATION

Scanned with OKEN Scanner

I, the deponent above named, do hereby verify and say that the contents of my above report by way of the affidavit are true and correct to my knowledge based on the record, no part of it is false, and nothing material has been concealed therefrom. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Udham Singh Nagar, Uttarakhand, on this 27 day of July 2024.

NOTARY * D.N. JAISWAL Kichha-Rudrapur (U.S. Nagar) R.No. 17/03/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) *

DEPONENT

BHAVNA JOSHI

Chief Horticulture Officer,

Udham Singh Nagar,

Uttarakhand

identified the Signature/T.I of Executants/deponent who has/have Signed before me

Filed By

DEEPAK BORA

Counsel for the State of Uttarakhand

17, New Lawyers Chambers,

Setalvad Block,

Supreme Court of India

New Delhi-110001

Mobile No. 9971578987

Certified that sri/Smt. Bhavna Joshi the deponent identified by Anand Negi Swomed verified that contents of this Affidavit at Rudrapur Date 27/7/24

D.N. JAISWAL 27/07/24
Notary Kichha-Rudrapur
(U.S.Nagar) U.A

Scanned with OKEN Scanner

(60)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी – ग्राम चौंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चौंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 00027 खसरा नं0– 156 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेंड 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ो पर काफी वर्षो से फल नही आ रहा है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.O-D
C.H.O
4/8/2022

[1]

प्रार्थी

श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता
निवासी – ग्राम चौंदपुर काशीपुर तहसील
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

(21)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :— 25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी — 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या — 00027 खसरा नं0— 157 मे 25 पेड़ लीची के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थी के 25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.9.U
C.H.O
4/8/2022

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी — 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

Scanned with OKEN Scanner

(103)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी – 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 00027 खसरा नं0– 157 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेंड 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ो पर काफी वर्षो से फल नही आ रहा है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.O. CeHO 4/8/2022

Sudhir Gupta

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी – 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थीगण निवासी – ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर के निवासी है। प्रार्थीगण की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 00027 खसरा नं0– 155,154,146 मे 60 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ हमारी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थीगण का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.O. CHO 01/8/2022

Helal...

प्रार्थीगण

श्री नकुल कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता,सुधीर गुप्ता पुत्र श्री स्व0 महेश कुमार
निवासी ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

(12)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी – ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 125 खसरा नं0– 145,152,153,147 मे 60 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ प्रार्थी की भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थी के 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

II

नकुल कुमार

प्रार्थी

श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार
निवासी ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

(2)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थीगण निवासी – ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर के निवासी है। प्रार्थीगण की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 00027 खसरा नं0– 155,154,146 मे 60 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ हमारी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थीगण का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के 60 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.G.I
CHO
01/8/2022

(हस्ताक्षर)

प्रार्थीगण

श्री नकुल कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता,सुधीर गुप्ता पुत्र श्री स्व0 महेश कुमार
निवासी ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

(41)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी – 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 00027 खसरा नं0– 157 मे 25 पेड़ लीची के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेड़ पुराने व रोगग्रस्त व सूखे व फलहीन है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थी के 25 पेड़ लीची के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.O.
C.H.O
4/8/2022

Sudhir

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता
निवासी – 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर ।

विषय :– 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति चाहनें वास्तें।

महोदय ,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी – ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। प्रार्थी की भूमि बॉके मौजा ग्राम चॉदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में खाता संख्या – 00027 खसरा नं0– 156 मे 50 पेड़ आम के लगे है। यह पेड़ मेरी भूमि में स्थित है। उपरोक्त पेंड़ हर प्रकार सें पाक साफ है। इन पेड़ो पर प्रार्थी का पूर्ण स्वामित्व है।

उपरोक्त पेंड 70/80 वर्ष पुराने व रोगग्रस्त है, आम के पेड़ो पर काफी वर्षो से फल नही आ रहा है।

अतः श्रीमान जी सें प्रार्थना है कि प्रार्थी के 50 पेड़ आम के कटान की अनुमति प्रदान करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

D.H.O-D
C.H.O
4/8/2022

प्रार्थी
श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता
निवासी – ग्राम चॉदपुर काशीपुर तहसील
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE B

(82)

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & 🖷:–05944–250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 787/तक–2/पातन–निरीक्षण/ 2022–23. दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद – ऊधमसिंहनगर।

विषय– फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी– ग्राम चाँदपुर, गोपीपुरा तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 08.08.2022 का खाता खतौनी संख्या–00125, खसरा संख्या–145,147,152,153 कुल रक्वा 4.144 है0 भूमि में 60 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तो के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर0 डी0 भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय–मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :–

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 787/उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि– श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी–ग्राम चाँदपुर गोपीपुरा, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः— मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & 📠:—05944—250447, Email-horti.usn@gmail.com

दिनांक 12/08/2022

पत्रांक 784 /तक—2/पातन—निरीक्षण/ 2022—23,

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद — ऊधमसिंहनगर।

विषय— फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी— 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या—00027, खसरा संख्या—157, रक्वा 1.7850 है० भूमि में 50 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तो के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर0 डी0 भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय—मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :—

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 784 /उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि— श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी— 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

Scanned with OKEN Scanner

(6)

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & 📠:–05944–250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 786/तक–2/पातन–निरीक्षण/ 2022–23, दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद ऊधमसिंहनगर।

विषय - फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी– ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–156, रक्वा 0.9470 है० भूमि में 50 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तो के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर0 डी0 भट्ट	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय–मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :–

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 786/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी–ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & Fax:–05944– Email-horti.usn@gmail.com

दिनांक 22/08/2022

पत्रांक 821 /तक–2/पातन–निरीक्षण

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद – ऊधमसिंहनगर।

विषय– फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी– 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–157, रक्वा 0.706 है0 भूमि में 25 लीची वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तो के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री गोपाल राम	सहा0वि0अधिकारी	कार्यालय–मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :–

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 821 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी– 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चॉदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

Scanned with OKEN Scanner

(2)

(3)

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & 🖷:–05944–250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 787 /तक–2/पातन–निरीक्षण/ 2022–23, दिनांक 12/08/ 2022

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद – ऊधमसिंहनगर।

विषय– फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुधीर गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी– ग्राम चॉदपुर, गोपीपुरा तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 08.08.2022 का खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–155,154,146 कुल रक्वा 1.4570 है० भूमि में 60 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तो के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर0 डी0 भट्ट,	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय–मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :–

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 787 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी–ग्राम चॉदपुर गोपीपुरा, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3
संख्या-   /X-3-2012/21(08)/2010
देहरादून- दिनांक- 30 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा-3 की उपधारा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि भूमि पर फलदार वृक्षों के पातन हेतु अनुज्ञा जारी करने, एवं धारा-14(1) के अधीन कृषि भूमि पर फलदार वृक्ष, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर के हों, गिराना, काटना या स्थल से हटाना तथा ऐसे फलदार वृक्ष की लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ी वाहक या पशु भी यदि कोई हो, को अभिग्रहीत करने एवं उक्त अधिनियम की धारा-15 उपधारा-(1) के अधीन कृषि भूमि पर किसी फलदार वृक्षों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों का प्रशमन करने के लिए भी जिला उद्यान अधिकारी को प्राधिकृत करते हैं।

[illegible]

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या-   /X-3-2012, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व/कृषि/उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, उद्यान विभाग, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

2M 2302 | 23-3 दि0 6-12-12
प्रतिलिपि उप-प्रभागीय वनाधिकारी, टनकपुर एवं वन क्षेत्राधिकारी [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
[illegible]

(13)

कार्यालयः— मुख्य उद्यान अधिकारी, ः नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎& 🖷:—05944—250447, Em ti.usn@gmail.com

पत्रांक 787 /तक–2/पातन–निरीक्षण/ 2022–23. दिनांक 12/08/2022

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद – ऊधमसिंहनगर।

विषय– फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता, सुधीर गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी– ग्राम चॉदपुर, गोपीपुरा तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 08.08.2022 का खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–155,154,146 कुल रक्बा 1.4570 है० भूमि में 60 आम वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तो के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री आर0 डी0 भट्ट,	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	कार्यालय–मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :–

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 787 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी–ग्राम चॉदपुर गोपीपुरा, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & 🖷:–05944–250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 821 /तक–2/पातन–निरीक्षण/ 2022–23, दिनांक 22/08/2022

प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
जनपद – ऊधमसिंहनगर।

विषय– फलवृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी– 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चौंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर का प्रार्थना पत्र दिनॉक 04.08.2022 का खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–157, रक्बा 0.706 है० भूमि में 25 लीची वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्मिको की समिति गठित की जाती है कि वह निम्न शर्तों के आधार पर बाग में फलविहीन वृक्षों का निरीक्षण कर पातन हेतु निरीक्षण आख्या मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

क0सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर
2.	श्री गोपाल राम	सहा0वि0अधिकारी	कार्यालय–मु0उ0अ0 ऊधमसिंहनगर
3.	श्री के0एल0 सागर	सहा0वि0अधिकारी	उद्यान सचल दल केन्द्र, कुण्डेश्वरी

स्थलीय निरीक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं का मुख्य रुप से उल्लेख किया जाय :–

- पातन की संस्तुति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि नजरी नक्शे में पातन हेतु वृक्षों का अंकन किया जाय।
- हरे वृक्ष जिसमें फलत सम्भावित है, उससे किसी प्रकार के जनहित की हानि या कोई विशेष कारण न होने की दशा में संस्तुति न की जाय।
- वृक्षो की आयु एवं रोग/कीट व्याधि के प्रकोप का स्पष्ट उल्लेख करें।
- निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, साथ ही फोटो ग्रॉफ भी प्रस्तुत किये जायगें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

पत्रांक 821 /उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि– श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी– 310ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम चौंदपुर, तहसील काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारियों से फल वृक्ष का निरीक्षण करवा कर आख्या उपलब्ध करवाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

nirikshan patan-new

Scanned with OKEN Scanner

(29)

कार्यालय- प्रभारी उद्यान सचल दल- काशीपुर
पत्रांक 155 / वृक्ष पातन /2022-23 / दिनांक 19-12-2022
सेवामें,
मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिंहनगर।

विषय- वृक्ष पातन की निरीक्षण आख्या।

महोदय,
उक्त विषयक श्री नकुल कुमार गुप्ता s/o महेश कुमार गुप्ता ग्राम निवासी- चौंदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर जनपद - ऊधमसिंहनगर, श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 37 A अशोका एन्क्लेव दक्षिणी दिल्ली ग्राम- चौंदपुर तहसील- काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर। मनीष कुमार - गुप्ता पुत्र - नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम- चौंदपुर, तहसील- काशीपुर, जनपद- ऊधमसिंहनगर के बाग की निरीक्षण आख्या प्रेषित।

संलग्नक = 03 (तीन)
① निरीक्षण आख्या — 01 (2 पृष्ठ),
② मानचित्र (चक्षु आधारित) - 01।
③ सम्बन्धित बाग का फोटो - 01।

प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

प्रतिलिपि- उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर को सेवार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

(जे० सी० तिवारी)
प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

S.H.O - 115
C.H.O
22/12/2022

Scanned with OKEN Scanner

(9)

Type text here

निरीक्षण आख्या दिनाँक

मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर के कार्यालय पत्रांक 787 तक-2 (पातन निरीक्षण)/2022-23 दिनाँक 12-08-2022 व पत्रांक 821 तक-2 पातन निरीक्षण/2022-23 दिनांक 22-8-22 के आदेश के परिपालन में आज दिनाँक 19-12-2022 को श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता ग्राम-निवासी-ग्राम-चौदपुर गोपीपुरा तहसील काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी 31 ए अशोका एनक्लेव दक्षिणी दिल्ली ग्राम-चौदपुर, तहसील-काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर व मनीस कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम-चौदपुर, तहसील काशीपुर जनपद-उधमसिंहनगर के बाग का निरीक्षण किया, निरीक्षण श्री जगदीश चन्द्र तिवारी जे०उ० उद्यान निरीक्षक प्रभारी उद्यान सचल दल काशीपुर एवं श्री के०एल० सागर जे०उ० उद्यान निरीक्षक प्रभारी उद्यान सचल दल-कुण्डेश्वरी ने संयुक्त रूप से किया, निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार से है। पूर्व में दिनाँक 2-12-2022 को श्री रेवाधर भट्ट जे०उ० निरीक्षक श्री जगदीश चन्द्र तिवारी जे०उ० उद्यान निरीक्षक, श्री के०एल० सागर जे०उ० निरीक्षक व वलवन्त राम सहायक विकास अधिकारी ने भी इस बाग को 15 मिनट तक देखा, अंधेरा हो जाने के कारण बाग का निरीक्षण करना संभव नहीं हो सका।

1- यह बाग काशीपुर छत्रीय चौक से लगभग 12 किमी० उत्तर दिशा में काशीपुर-रामनगर हाईवे के पश्चिम दिशा में है। बासे प्रतापपुर का बाजार लगा है, यह बाग प्रतापपुर से हेमपुर डीपो को जाने वाली रोड (Road) के दक्षिण दिशा पर स्थित है।

2- यह बाग बहुत अच्छी स्थिति में है। श्री उमेश कुमार गुप्ता S/O इन्द्रदेव गुप्ता ग्राम-चौदपुर वाले इस बाग की देखरेख करते थे, वर्ष 2021 में कोविड महामारी के कारण उमेश गुप्ता एवं श्री महेश कुमार गुप्ता की मृत्यु हो गयी, वर्ष 2021-22 दो वर्ष के लिए श्री उमेश कुमार गुप्ता जी द्वारा 60 लाख रुपये में बाग फलों की बिक्री हेतु फल ठेकेदार को दिया था, अब उनकी मृत्यु के बाद यह बाग उनके उपरोक्त वारिसों के पास आ गया है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि प्लाटिंग (आवासीय भवन) निर्माण के लिए किसी प्रोपर्टी डीलर को बेच दिया है अब प्रोपर्टी डीलर किसी भी प्रकार से आम व लीची के इस बाग को काटना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार से दबाव बना रहा है। जिससे की दबाव बनाकर काटने की स्वीकृति ली जा सके।

3. प्रोपर्टी डीलर द्वारा श्री इसरत अली पुत्र श्री चौधरी खाँ निवासी ग्राम-प्रतापपुर-तहसील काशीपुर जनपद-उधमसिंहनगर को अपना ठेकेदार बनाया है। उक्त व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र देकर पेड़ों को काटने की अनुमति चाही है।

इसरत अली पुत्र चाँद खाँ निवासी ग्राम-प्रतापपुर तहसील - काशीपुर जनपद- उधमसिंहनगर ने वर्ष 2021- 22 में 100 आम वृक्षों पातन हेतु सगीर अहमद पुत्र कबीर अहमद निवासी लक्ष्मीपुर लच्छी तहसील - काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर के बाग का प्रार्थना पत्र दिया था, पातन स्वीकृति बहुत कम पेड़ों की मिलने पर भी इसरत अली ठेकेदार द्वारा लगभग 200 से अधिक आम वृक्षों का पातन कर दिया था। तत्कालीन उपजिलाधिकारी महोदया काशीपुर ने उक्त की जाँच करवाई थी 7-1-2022 को श्री जगदीशचन्द्र तिवारी एवं श्री के०एल० सागर ने उपजिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार जाँच कर दिनांक 7-1-22 को जाँच आख्या सौंप दी थी, जिसमें 200 से अधिक वृक्षों के काटे जाने की बात कह गयी है।

5- इस बाग में कुल वृक्षों की संख्या निम्न प्रकार है।

1- आम वृक्ष कुल 718 (278 आमवृक्ष लगभग 50 साल शेषवृक्ष 2 साल से 10 साल)
2- लीची वृक्ष कुल 334 (लीची वृक्षों की आयु- 6 साल से 35 साल)
3- नासपाती वृक्ष 48 (नासपाती वृक्ष लगभग 6 साल)
4- कटहल वृक्ष 01 (कटहल वृक्ष 15 साल)
योग — 1101

6- ये सभी वृक्ष फल देने वाले हैं, इनमें कोई रोग नहीं लगा है इन वृक्षों से किसी को कोई जनहानी नहीं हो रही है, कोई अन्य कारण भी नहीं है।

7- अन्त में समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि किसी भी दशा में बाग का पातन न किया जाए, एक पेड़ की भी अनुमति दे दी गयी तो बाग में एक भी वृक्ष नहीं बचेगा पूर्व में लगभग सभी ठेकेदारों के द्वारा ऐसा ही किया गया है, बाग केवल प्लाटिंग के लिए काटने का विचार है ऐसी परिस्थिति में समिति बाग न काटने की संस्तुति देती है।

(जगदीश चन्द्र) — प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
उद्यान सचल दल-काशीपुर

(के०एल० सागर) — प्रभारी
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक — उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी (ऊधमसिंह नगर)
उद्यान सचल दल
कुण्डेश्वरी

(31)

सेवा में,

श्रीमान जिला मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय
रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

विषय :– आम के पेड़ो के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी निवासी – ग्राम चौंदपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर का निवासी है। आपके कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। पंत्राक संख्या 784 दिनांक 12/08/2022 के सम्बंध मे प्रार्थी का जवाब निम्न प्रकार है :–

श्री जगदीश चन्द्र तिवारी ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर तथा के0 एल0 सागर सहा0 वि0 अधिकारी, उद्यान सचल दल कुण्डेश्वरी दोनो अधिकारियो के द्वारा दी गई रिपोर्ट में पेड़ो को हरा दिखाया गया है तथा रिपोर्ट मे पेड़ो की उम्र भी कम दर्शायी गयी है तथा रिपोर्ट मे पेड़ो के सूखे तथा पेड़ो के रोगग्रस्त होने का भी जिक नही किया गया है जबकि बाग मे आम के लगभग 15 पेड़ सूख रहे है व 35 पेड़ रोगग्रस्त है जिन पर फल नही आता जिस कारण प्रार्थी कटवाना चाहता है और पातन किये गये पेड़ो के स्थान पर नये पड़ो का रोपण करवाना चाहता है। महोदय बाग मे पेड़ो के उपर से तीन विधुत लाईने भी जा रही है जिसका रिपार्ट जिक नही किया गया है और बरसात मे पेड़ो पर करन्ट का भय भी बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी उक्त दोनो अधिकारियो की रिपार्ट से सन्तुष्ट नही है जबकि ग्राम सबसे पुराना बगीचा हमारा ही है और रिपोर्ट पेड़ो की लम्बाई का जिक भी नही किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त दोनो अधिकारियो की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही है। जबकि ग्राम का सबसे पुराना बगीचा हमारा है जिनका विवरण इस रिपोर्ट मे नही किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के उपरोक्त पेड़ो का पुनः स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा है।

प्रतिलिपि :– तहसीलदार काशीपुर को उपरोक्तनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उपजिलाधिकारी, काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी

श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार
निवासी 31 ए0 अशोका एवन्यु दक्षिणी दिल्ली
हाल निवासी ग्राम चौंदपुर तहसील काशीपुर
जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड।

कार्यालय-मुख्य उद्यान अधिकारी
पत्रांक 636
दिनांक 28/12/22
रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)

Scanned with OKEN Scanner

(28)

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।
☎ & 🖷 :–05944–250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 1911 / तक–2 / पातन निरी0 / 2022–23, दिनांक 03/01/2023

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी,
काशीपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर।

विषयः– आम / लीची के पेड़ो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता एवं मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चांदपुर तहशील काशीपुर जनपद ऊधमसिह नगर द्वारा आम के पेड़ो के पातन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2022 को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस हेतु इस कार्यालय के पंत्राक 787 / तक–2 / पातन–निरी0 / 2022–23 दिनांक 12.08.2022 से श्री नकुल कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या–00125, खसरा संख्या–145,147, 152,153 कुल रक्वा 4.144 है0 भूमि में **60 आम वृक्ष**, पंत्राक 784 / तक–2 / पातन– निरी0 / 2022–23 दिनांक 12.08.2022 से श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–157 कुल रक्वा 1.7850 है0 भूमि में **50 आम वृक्ष**, पंत्राक 786 / तक–2 / पातन– निरी0 / 2022–23 दिनांक 12.08.2022 से श्री मनीष गुप्ता, खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–156 कुल रक्वा 0.9470 है0 भूमि में **50 आम वृक्ष**, एवं पंत्राक 821 / तक–2 / पातन– निरी0 / 2022–23 दिनांक 22.08.2022 से श्री सुधीर कुमार गुप्ता, खाता खतौनी संख्या–00027, खसरा संख्या–157 रक्वा 0.706 है0 भूमि में **25 लीची वृक्षों** के पातन हेतु निरीक्षण के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0 केन्द्र, काशीपुर श्री आर0डी0भट्ट ज्ये0उ0निरी0, मुख्यालय, ऊधमसिंह नगर एवं श्री के0एल0सागर, सहा0वि0अधि0, उ0स0द0 केन्द्र, कुण्डेश्वरी की संयुक्त समिति गठित की गई थी। जिसका श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0 केन्द्र, काशीपुर एवं श्री के0एल0सागर, सहा0वि0अधि0, उ0स0द0 केन्द्र, कुण्डेश्वरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी छ्यप्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के क्रम में तीनों कृषकों द्वारा पुनः निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो इस कार्यालय में दिनांक 28.12.2022 को प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि आपको एवं तहसीलदार काशीपुर को भी प्रेषित की गई है। अतः महोदय से अनुरोध है कि बाग काफी बड़ा हैं एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण उपरोक्त अंकित वृक्षों के पातन हेतु अपने स्तर से राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करवाने की कृपा करेंगें।

भवदीया,

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिह नगर।

पत्रांक 1911 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी–31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली ग्राम–चॉदपुर, तहसील–काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम–चॉदपुर, तहसील–काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम–चॉदपुर, तहसील– काशीपुर, जनपद ऊधमसिहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– तहसीलदार, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी
ऊधमसिह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

(3)

कार्यालय तहसीलदार, काशीपुर जि.. उधमसिंहनगर।

Email tehsildarkashipur@gmail.com

पत्र सं0– 40 / ना0ना0 / 2023

दूरभाष / फैक्स संख्या–05947–274026

दिनांक 12 जनवरी, 2023

1–श्री राम सिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर।
2–कु0 निर्मला मनौला राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा।

मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर के पत्र सं0–1911 / तक–2 / पातन निरी0 / 2022–23 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश कुमार गुप्ता के खाता खतौनी सं0–00125 खसरा नं0–145, 147, 152, 153 कुल रकवा 4.144 है0 भूमि में 60 आम वृक्ष, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार के खाता खतौनी सं0–00027 खसरा नं0–157 कुल रकवा 1.7850 है0 भूमि में 50 आम वृक्ष, मनीष कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता के खाता खतौनी सं0–00027 खसरा नं0–156 कुल रकवा 0.9470 है0 भूमि में 50 आम वृक्ष एवं श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार के खाता खतौनी सं0–00027 खसरा नं0–157 रकवा 0.706 है0 भूमि में 25 लीची वृक्ष के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उक्त बाग काफी बड़ा है एवं पेड़ो की संख्या अधिक होने के कारण उपरोक्त अंकित वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करवाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय काशीपुर ने अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा प्रकरण में केवल भूमि स्वामित्व केस में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–132 / ना0ना0 / 2023 दिनांक 11 जनवरी, 2023 के द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर से प्रकरण में उद्यान विभाग से 02 अधिकारी / कर्मचारी का नाम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिस पर संयुक्त टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की जा सकें। जिस पर मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय उधमसिंहनगर ने अपने पत्र सं0–711 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक व श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक के नाम प्रेषित किये गये है।

अतः उक्त प्रकरण में उद्यान विभाग के कर्मचारी / अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुये, स्थलीय निरीक्षण कर अपनी संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तहसीलदार, काशीपुर।

प्रतिलिपिः– श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मु0, श्री शंकर लाल कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण में राजस्व विभाग के उक्त कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करते हुये, अपनी संयुक्त आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12/01/23

तहसीलदार, काशीपुर।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

(91)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 22-01-23 को तहसीलदार काशीपुर जनपद - ऊधमसिंह -नगर के पत्रांक संख्या 40/ना०ना०/2023/ दिनांक 11 जनवरी 23 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आम वृक्ष पातन हेतु उनके द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय रुद्रपुर, श्री एस०एल० कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री रामसिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनोला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, द्वारा श्री नकुल कुमार गुप्ता S/o श्री महेश कुमार गुप्ता निवासी गोपीपुरा ग्राम - चांदपुर के उद्यान में खतौनी संख्या - 00125 खसरा नं० 145, 146, 152, 153, कुल भूमि 4.144 हेक्टर स्थित उद्यान मे खड़े आम वृक्षो का उक्त गठित समिति के सदस्यो द्वारा वृक्षो का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका नजरी नक्शा संलग्न है, एवं निरीक्षण आख्या निम्नप्रकार है

उक्त उद्यान मे पहली पंक्ति मे 4 वृक्ष, दूसरी पंक्ति मे 19 वृक्ष, तिसरी पंक्ति में 20 वृक्ष, चौथी पंक्ति में 23 वृक्ष, पांचवी पंक्ति में 19 वृक्ष, छठवी पंक्ति मे 21 वृक्ष, सातवीं पंक्ति मे 21 वृक्ष, आठवीं पंक्ति मे 22 वृक्ष, नौवीं पंक्ति में 19 वृक्ष, दसवी पंक्ति मे 22 वृक्ष, ग्यारवीं पंक्ति मे 22 वृक्ष, बारवीं पंक्ति मे 23 वृक्ष, तेरवीं पंक्ति मे 21 वृक्ष, चौदवीं पंक्ति में 22 वृक्ष, पंद्रवीं पंक्ति मे 10 वृक्ष, कुल 288 आम वृक्ष खड़े है।

(1) उक्त आम वृक्ष 55 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतीत होते है, अधिक उम्र होने के कारण फलो का उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन आशानुरूप नही हो रहा है।

(2) उक्त उद्यान में बीचो बीच बिजली की लाइन जा रही है, तथा आम वृक्षो पर बिजुली के तार मिल रहे है जिससे जन हानि भी हो सकती है,

(3) अधिक उम्र होने के कारण वृक्षो का फैलाव अधिक हो चुका है, कुछ वृक्ष सूख रहे है कुछ वृक्षो की टहनियां सूख रही है फोटो संलग्न है।

उपरोक्त कारणो को मध्यनजर रखते हुए उक्त गठित समिति के चारो नामित सदस्यो द्वारा सहमति प्रदान की गयी कि उक्त उद्यान मे पहली पंक्ति मे (0) वृक्ष, दूसरी पंक्ति मे (0), तिसरी पंक्ति मे (3) वृक्ष, चौथी पंक्ति मे (2) वृक्ष, पांचवी पंक्ति में (2) वृक्ष, छठीं पंक्ति मे (3) वृक्ष, सातवीं पंक्ति मे (4) वृक्ष, आठवें पंक्ति मे (3) वृक्ष, नौवी पंक्ति मे (5) वृक्ष, दसवीं पंक्ति मे (3) वृक्ष, ग्यारवी पंक्ति मे (3) वृक्ष, बारवी पंक्ति मे (7) वृक्ष, तेरवी पंक्ति मे (2) वृक्ष, चौदवी पंक्ति में (2) वृक्ष, पंद्रवी पंक्ति मे (7) वृक्ष कुल (45) वृक्ष पातन योग्य प्रतीत होते है,

अतः अलाभकारी (45) वृक्षो का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्ष रोपण करना उचित होगा। साथ ही स्वीकृति उपरान्त श्री नकुल कुमार गुप्ता एवं उनके द्वारा नामित ठेकेदार इसरत अली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्षो का पातन किया जाता है तो वे स्वंय उत्तरदायी रहेंगे। श्री इसरत अली का शपत पत्र संलग्न है।

(रेवाधर भट्ट)	(एस०एल० कोहली)	(रामसिंह)	(कु० निर्मला मनोला)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक	राजस्व उपनिरीक्षक
C.H.O. कार्यालय विकास भवन रुद्रपुर	प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र जसपुर (ऊधम सिंह नगर)	क्षेत्र काशीपुर	जिला - ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(68)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13-01-2023 को तहसीलदार, तहसील काशीपुर जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक संख्या 40/नॉ०नो०/2023/दिनांक 12 जनवरी 2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आम/लीची/वृक्षों के पातन हेतु गठित समिति के सदस्य श्री रेवाधर भट्ट ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय विकास भवन रुद्रपुर, श्री एस०एल० कोहली ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक जसपुर, श्री रामसिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र काशीपुर, कुमारी निर्मला मनोला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा द्वारा श्री मनीष कुमार गुप्ता पु० नरेश कुमार गुप्ता ग्राम-चांदपुर के उद्यान में खतौनी संख्या 00027 खसरा संख्या-156 कुल 0.7470 हेक्टेयर भूमि में उद्यान में खड़े आम वृक्षों का उक्त गठित समिति के सदस्यों द्वारा वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। एवं निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

उक्त उद्यान में प्रथम पंक्ति में-14 वृक्ष, द्वितीय पंक्ति में-16 वृक्ष तृतीय पंक्ति में-16 वृक्ष, चौथी पंक्ति में-13 वृक्ष, पांचवी पंक्ति में-12 वृक्ष छठी पंक्ति में-11 वृक्ष, सातवी पंक्ति में 10 वृक्ष, आठवीं पंक्ति में 12 वृक्ष कुल 104 वृक्ष खड़े हैं।

① उक्त उद्यान में वृक्ष लगभग 55 वर्ष से ऊपर के प्रतीत हो रहे हैं अधिक उम्र होने के कारण फल उत्पादन कम हो रहा है।

② उक्त उद्यान में वृक्षों की उम्र अधिक होने के कारण वृक्षों का फैलाव अधिक होने के कारण टहनियां आपस में सटी होने से फल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा कुछ वृक्ष सूख रहे हैं। कुछ वृक्षों की टहनियां सूख रही हैं। फोटो संलग्न है।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए समिति के चारों सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी कि उक्त उद्यान में पहली पंक्ति में (4) वृक्ष, दूसरी पंक्ति में-(4) वृक्ष, तीसरी पंक्ति में-(5) वृक्ष, चौथी पंक्ति में-(6) वृक्ष, पांचवीं पंक्ति में-(7) वृक्ष, छठीं पंक्ति में-(3) वृक्ष, सातवीं पंक्ति में-(6) वृक्ष, आठवीं में-(4) वृक्ष, कुल-(39) वृक्ष पातन योग्य प्रतीत हो रहे हैं।

अतः अलाभकारी (39) वृक्षों का पातन कर उनके स्थान पर नये वृक्षों का रोपण किया जाना उचित होगा। साथ ही स्वीकृति के उपरान्त श्री मनीष कुमार गुप्ता या उनके द्वारा । नामित ठेकेदार श्री इसरत अली निवासी प्रतापपुर द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्षों का पातन किया जाता है तो वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे, इसरत अली ठेकेदार का शपथ पत्र संलग्न है।

(रेवाधर भट्ट)
ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक
C.H.O. कार्यालय
रुद्रपुर

(एस०एल० कोहली)
ज्येष्ठ प्रभारी निरीक्षक
[stamp, illegible]

(रामसिंह)
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र काशीपुर

कुमारी निर्मला मनोला
राजस्व उप० निरी०
गोपीपुरा

निर्मला मनोला
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र गोपीपुरा काशीपुर
जिला ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(23)

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधम सिंह नगर, विकास भवन, रूद्रपुर
☎ & 🖷:– 05944–250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 2179 /तक–2/पातन–स्वीकृति/2022–23, दिनाँकः 6/2/2023

प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर,
जनपद–ऊधमसिंहनगर।

विषयः– नाप खेत में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

तहसीलदार काशीपुर द्वारा प्रदत्त स्वामित्व प्रमाणपत्र के आधार पर श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम–चौंदपुर, तहसील–काशीपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर के खाता खतौनी संख्या–00125, खसरा संख्या–145,146, रकवा– 4.144 है0 भूमि में स्थित निम्न वृक्षों के तहसीलदार काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर के पत्रांक 40/ना0ना0/2023/दिनॉक 12.01.2023 के कम में गठित समिति द्वारा दिनांकः–22.01.2023 को स्थलीय निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तहसीलदार काशीपुर, के कार्यालय पत्रांक 185/ना0ना0/2023, दिनांक 31.01.2023 के क्रम में आपके क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रजाति के वृक्षों का पातन करने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अर्न्तगत प्रदान की जाती हैं।

क0सं0	फल का नाम/प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अनुमानित आयु	अभ्युक्ति/वृक्षों की स्थिति
1–	आम	45	55 वर्ष से अधिक	अनुपयोगी/अलाभकारी/रोगग्रसित

पातन से पूर्व प्रतिबन्धः–

1– उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत छपान किये जाने वाले वृक्षों का छपान शुल्क 35/– प्रति वृक्ष की दर से नकद वनक्षेत्राधिकारी के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात ही छपान की कार्यवाही की जायेगी।

2– उपरोक्त स्वीकृति के अर्न्तगत काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष रू0 50/– प्रतिवृक्ष की दर से जमानत के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/टी0डी0आर में प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर के नाम से निरूपित करवाना होगा। जमा की गयी धनराशि के विरूद्व काटे जाने वाले वृक्ष के स्थान पर प्रति वृक्ष दो फलदार पौधों को लगाना अनिवार्य होगा।

3– पातन की कार्यवाही इस कटान अनुज्ञा के दिनॉक से 30 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर देना होगा। अन्यथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नये लगाये जाने वाले पौधों की मांग का खसरा प्लाट संख्या एवं पौधों को वनक्षेत्राधिकारी/मुख्य उद्यान अधिकारी/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर को बताना होगा।

4– कटान हेतु अनुमन्य किये गये प्रकाष्ठ की निकासी करने के लिए अभिवहन पास हेतु आवेदन को उ0प्र0 इमारती एवं वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की अनुसूची–ख के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। तत्पश्चात उसको अभिवहन पास जारी किया जायेगा ।

5– कटान हेतु अनुमतः किये गये वृक्षों के प्रकाष्ट की निकासी हेतु वन मोटर मार्ग की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित वाहन के लिए विभागीय रोड परिमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6– विभागीय रोड परिमिट केवल रेगुलर वन मोटर मार्ग के लिए होगा।

7– निकासी किये जाने वाले प्रकाष्ट हेतु सम्पत्ति चिन्ह का पंजीकरण कराना होगा।

8– कटान की अवधि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9– छपान कार्य में वन प्रभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।

10– सम्बन्धित कृषक को काटे जाने वाले प्रति वृक्ष की दर से 02 फलदार वृक्ष तथा कुल स्वीकृत 45 फल वृक्षों पर 90 वृक्षों के रोपण हेतु अग्रिम धनराशि जमा कर केन्द्र पर अनुराक्षित पंजिका में अभिलेख हेतु अनुरक्षित करें।

11– फल पौध रोपण के समय सम्बन्धित उद्यानपति से फल पौध रोपण सुनिश्चित कराये।

12– प्रभारी पातन/लोपिंग कार्य अपनी अथवा किसी विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पादित कराये, तथा उसका फोटोग्राफ भी अनुरक्षित कराया जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 2179/उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपिः–1. श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम– चौंदपुर, तहसील–काशीपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर को उनके प्रार्थना पर दि0 08.08.2022 के कम में इस आशय से सूचनार्थ कि उपरोक्तानुसार निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर पातन/लोपिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. थाना काशीपुर, जनपद– ऊधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, जिला नैनीताल की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE H

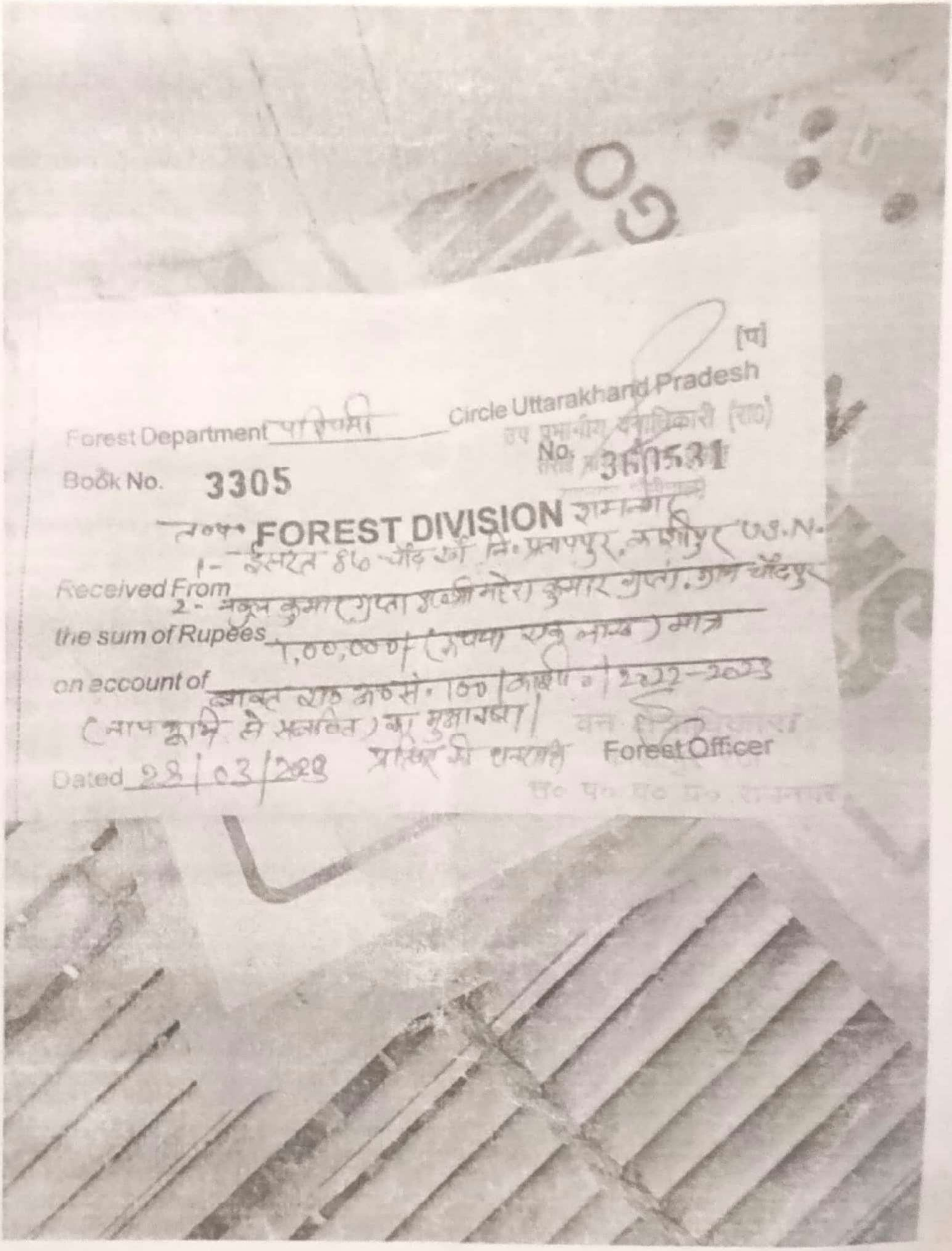

[प]

Forest Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

Book No. 3305 No. 360531

तराई FOREST DIVISION रामनगर

Received From 1- इसरत 86 चौदहगाँ नि॰ प्रतापपुर, काशीपुर U.S.N. 2- नकुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता, ग्राम चौदपुर

the sum of Rupees 1,00,000/- (रुपया एक लाख) मात्र

on account of बाबत वाद सं॰ 100/काशी॰/2022-2023 (नाप भूमि से सम्बन्धित) का मुआवजा।

Dated 28/03/2023

Forest Officer

234

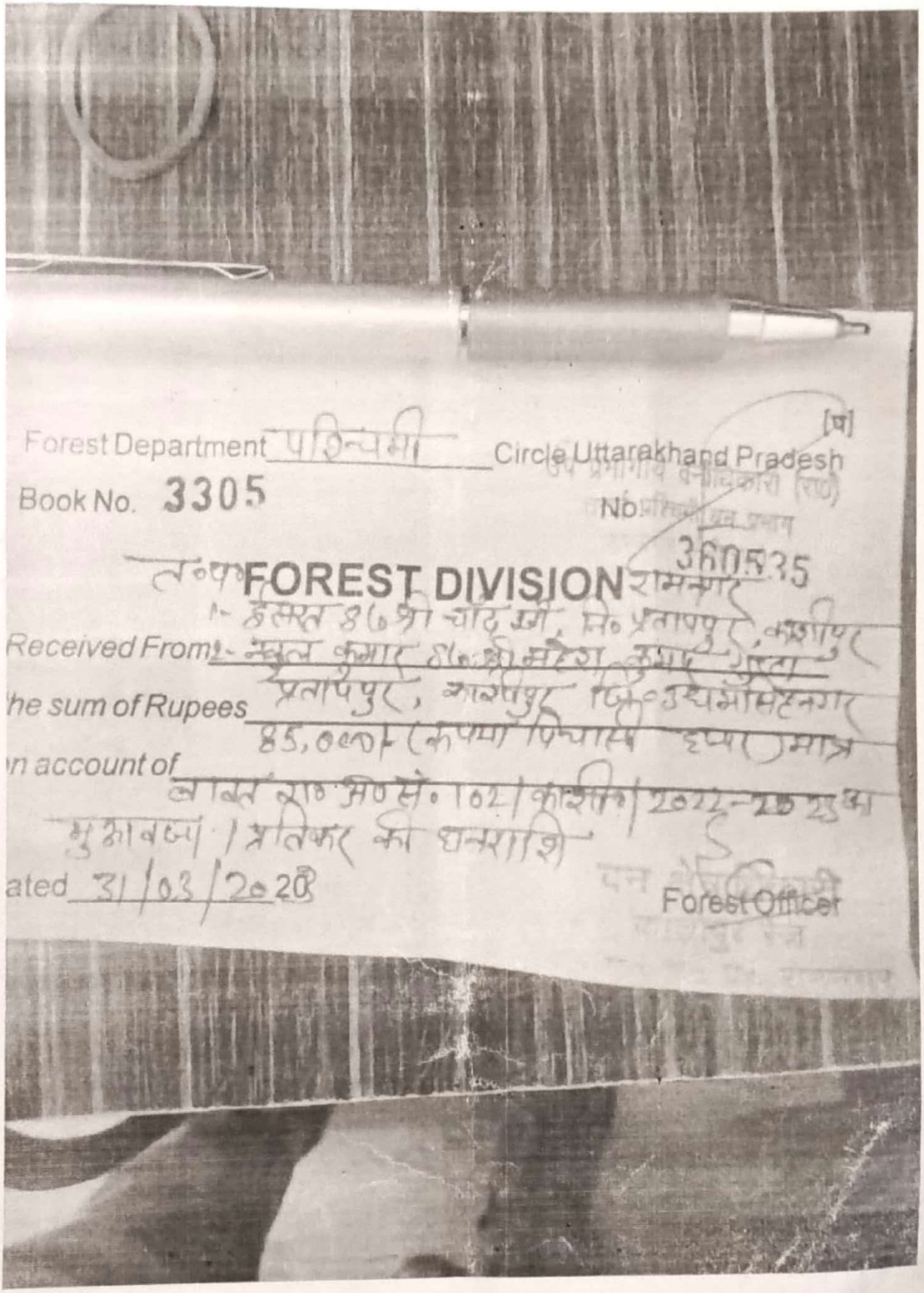

Forest Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

[प]

Book No. 3305 No. 360535

त०प० FOREST DIVISION रामनगर

Received From: 1- हसरत पुत्र श्री चांद ..., नि० प्रतापपुर, काशीपुर
2- मुकुल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार गुप्ता
प्रतापपुर, काशीपुर जि० उधमसिंहनगर

The sum of Rupees 85,000/- (रुपया पिच्यासी हजार) मात्र

On account of बाबत रा० अ० सं० 102/काशी/2022-23 अ
मुआवजा / प्रतिकर की धनराशि

Dated 31/03/2023

Forest Officer

उप प्रभागीय वनाधिकारी (रा०) ... वन क्षेत्राधिकारी

233

(नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

Forest Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

Book No. 3300 No. 360074

तं॰प॰ FOREST DIVISION रामनगर

Received From इसरत S/o श्री चाँद खाँ (ठेकेदार) नि॰ प्रतापपुर तह॰ काशीपुर जिला ऊधमसिंह नगर

the sum of Rupees 50,000/- (रुपया पचास हजार) मात्र

on account of बाबत रा॰ अ॰ से॰ यथा कारित। 2022-2023 (नापभूमि) का मुआवजा। प्रतिकर की रामनगर

Dated 16/02/2023

वन क्षेत्राधिकारी

Forest Officer

काशीपुर रेंज

प॰ व॰ प्र॰ रामनगर

282

(नैनीताल)

उप प्रभा. [illegible] (राज्य)
तराई पश्चिमी वन प्रभाग

Forest Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

Book No 3300 No. 360073

त०प० FOREST DIVISION रामनगर

Received From इसरत पु० श्री चाँद खाँ नि० प्रतापपुर त०काशीपुर जि० उधमसिंहनगर

the sum of Rupees रु० 55000/- (रुपया पचपन हजार) मात्र

on account of बाबत रा०रा०मा० सं० 74 / [illegible] / 2022-2023 भूमि से संबंधित मुआवजा / प्रतिकर की धनराशि

Dated 15.02.2023

वन क्षेत्राधिकारी
Forest Officer
त० प० व० प्र० रामनगर

(28)

उप प्रभागीय
तराई पश्चिमी वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल) [प]

Forest Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

Book No. 3300 No. 360080

तं०प० **FOREST DIVISION** रामनगर

Received From श्री सुधीर गुप्ता पु० श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम-चौंदपुर त० काशीपुर, ऊधमसिंहनगर

the sum of Rupees 75000/- (रुपया पिचहत्तर हजार) मात्र

on account of बावत वा०अ०सं० 95/काशी०/2022-2023 नापभूमि का मुआवजा/प्रतिकर की धनराशि

Dated 22/02/2023

वन क्षेत्राधिकारी
Forest Officer
काशीपुर रेंज

Scanned with OKEN Scanner

(230)

उप प्रभागीय वनाधिकारी (राम)
[प]

Forest Department पश्चिमी Circle Uttarakhand Pradesh

Book No 3300 No. 360079

त० प० FOREST DIVISION रामनगर

Received From श्री सुधीर गुप्ता पु० श्री सुरेश कुमार गुप्ता ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर जि० उधमसिंहनगर

the sum of Rupees 75,000/- (रुपया पिचहत्तर हजार) मात्र,

on account of बावत वा० अ० सं० 94/काशी/2022-2023 नापभूमि का मुआवजा / प्रतिकर की धनराशि

Dated 22/02/2023

वन क्षेत्राधिकारी
Forest Officer
काशीपुर रेंज

236

सेवा में,

दिनांक 31-05-202

श्रीमान मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय,
काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

विषयः–ग्राम चांदपुर विकास खण्ड काशीपुर में नकुल कुमार गुप्ता, सधीर कुमार गुप्ता, मनीश कुमार गुप्ता, के बाग में पेड़ो के पातन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि हमारे द्वारा अपने बाग में आम/लीची के वृक्षो के पातन हेतु आपसे अनुमति ली गयी थी हमारे बाग में लेखपाल काशीपुर के खसरे में कुल 460 वृक्ष आम के तथा 30 वृक्ष लीची के अंकित किये गये है जिसमें से आम के 128 वृक्षो के तथा 22 वक्ष लीची के पातन की स्वीकृति आपके द्वारा दी गयी थी, कुल आम व लीची के 490 वृक्ष बाग में थे, अनुमति के उपरान्त वृक्षो का छपान कर कटान शुरू किया गया हम लोग दिल्ली में थे कटान में हमारे लेवरो द्वारा कुछ अतिरिक्त वृक्ष काट दिये थे जिसका वन विभाग काशीपुर के अधिकारियो द्वारा छापा मारा गया उसमे राजस्व विभाग के अधिकारी भी थे जो अरिरिक्त वृक्ष लेवरो द्वारा काटे गये थे उसका निरीक्षण/सत्यापन कर रूपया 4,40,000/–रूपये (चार लाख चालीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया गया रूपया 4,40,000/–हमारे द्वारा वन विभाग काशीपुर में जमा कर दिये गये है जिसकी रसीद संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

महोदय अभी भी हमारे बाग में वृक्ष खड़े है अरिरिक्त काटे गये वृक्षो का वन विभाग द्वारा जो जुर्माना लगाया गया था जो हमारे द्वारा जमा कर दिया गया है। जो जगदीश चन्द्र तिवारी व सागर जी जो रिपोर्ट बता रहे है वह गलत है हमे परेशान करने के लिये बना रहे है। हमारे द्वारा जुर्माना भर दिया गया है।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण में हमे परेशान ना किया जाय।

संलग्नः–रसीद –6 खसरा–5

S.H.I-II
C.H.O.
31/5/23

भवदीय

POWER OF ATTORNEY HOLDER → SUDHIR GUPTA
→ MANISH GUPTA.
इसरत अली

नकुल कुमार गुप्ता, सुधीर कुमार गुप्ता, मनीश कुमार गुप्ता, इसरत अली

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)
पत्रांक 374
दिनांक 1/6/23

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE I

66

कार्यालयः— मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर विकास भवन रूद्रपुर।

☎& 🖷:—05944—250447, Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 344 /तक—2/पातन—निरीक्षण/2023—24, दिनॉक 03/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पश्चिम वन प्रभाग,
रामनगर, जिला नैनीताल।

विषय— नाप खेत स्थित में आम/लीची फलदार वृक्षों के अधिक काटे जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि श्रीमती बीना मिथान, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोपीपुरा तहसील काशीपुर/प्रतिहस्ताक्षरित तहसीलदार काशीपुर द्वारा श्री मनीष गुप्ता श्री नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम—चॉदपुर, के खाता 27, खसरा नं0 156 में आम 50 वृक्ष, एवं 157 में आम 100 वृक्ष, लीची 30 वृक्ष, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम— चॉदपुर, के खाता 27, खसरा नं0 156 में आम 50 वृक्ष, एवं 157 में आम 100 वृक्ष, लीची 30 वृक्ष, एवं श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम— चॉदपुर, के खाता सं0 125, खसरा नं0 145 में आम 75 वृक्ष, खाता सं0 27 खसरा नं0 146 में आम 75 वृक्ष, खाता नं0 125 खसरा नं0 147 मे आम 75 वृक्ष, खाता सं0 125 खसरा नं0 152 आम 100 वृक्ष खाता सं0 126 खसरा नं0 152 आम 10 वृक्ष, खाता सं0 125, खसरा नं0 153 आम 50 वृक्ष, खाता नं0 27, खसरा नं0 154, मे आम 20 वृक्ष, खाता सं0 27, खसरा नं0 155 में आम 10 वृक्ष, **कुल आम वृक्ष 715 एवं लीची वृक्ष 60 वृहद योग 775 वृक्ष** उक्त भूमि में दर्शाये गये हैं।

कार्यालय तहसीलदार काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर के कार्यालय पत्रांक 132/ना0ना0/2023, दिनांक 11.01.2023, कम में गठित समिति की निरीक्षण के आधार पर भूमि में पत्रांक 185/ना0ना0/2023, दिनांक 31.01.2023 द्वारा 288 आम वृक्ष, पत्रांक 140/ना0ना0/2023, दिनांक 17.01.2023 द्वारा आम 104 वृक्ष, पत्रांक 139/ना0ना0/2023, दिनांक 17.01.2023 द्वारा लीची वृक्ष 130, पत्रांक 141/ना0ना0/2023, दिनांक 17.01.2023 द्वारा आम वृक्ष 102, **कुल आम 494 वृक्ष एवं लीची 130 वृक्ष** भूमि पर खड़े पाये गये जिसके कम में तहसीलदार काशीपुर ऊधम सिंह नगर के कार्यालय पत्रांक 143/ना0ना0/2023, दिनांक 17.01.2023 द्वारा उद्यान विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त गठित समिति की उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा श्री मनीष गुप्ता श्री नरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम—चॉदपुर, तहसील काशीपुर को पत्रांक 2067, दिनांक 19.01.2023 द्वारा आम वृक्ष 39, श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता निवासी ग्राम—चॉदपुर को पत्र सं0 2068, दिनांक 19.01.2023 द्वारा आम वृक्ष 44, पत्र सं0 2069, दिनांक 19.01.2023 द्वारा लीची 22, श्री नकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम— चॉदपुर, को पत्र सं0 2179, दिनांक 06.02.2023 द्वारा आम वृक्ष 45, **कुल आम वृक्ष 128, लीची 22 वृक्षों** की पातन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के कम में श्री हरप्रीत शर्मा नियर महाराना प्रताप स्पोर्ट्स कालेज रायपुर देहरादून द्वारा सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत सं0 446812 जो ग्राम— चॉदपुर में फलदार वृक्षों को अनुमति से अधिक कॉटे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 27.04.2023 को एवं श्री हरीश चन्द्र, मोहल्ला खासिया पूरा पोस्ट—काशीपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा भी सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत सं0 447825 से श्री नकुल कुमार, सुधीर कुमार, मनीष कुमार, द्वारा आम एवं लीची के 1100 वृक्ष कॉटे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23.05.2023 को शिकायती पत्र त्वरित कार्यवाही हेतु उद्यान विभाग को स्थानान्तरित किया गया है।

07/6/23

तहसील कार्यालय काशीपुर ★ उत्तराखण्ड ★ ऊधम सिंह नगर

Scanned with OKEN Scanner

(65)

-2-

अतः आपको अवगत कराना है कि श्री नकुल कुमार गुप्ता, श्री सुधीर कुमार गुप्ता एवं मनीष कुमार गुप्ता निवासी ग्राम चाँदपुर तहसील काशीपुर हाल निवासी 31ए0 अशोका एवेन्यु दक्षिणी दिल्ली के द्वारा भूस्वामियों ने अपने पत्र से अवगत कराया गया है कि श्री इसरत अली (ठेकेदार) ग्राम–प्रतापुर, काशीपुर के द्वारा स्वीकृति से अधिक वृक्ष काटे गये है और वन विभाग के द्वारा उनसे दण्ड के रूप में जुर्माने की धनराशि बसूल ली गयी है। उपरोक्तानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की गयी है कि स्वीकृति से अधिक वृक्ष काटे गये है की पुनः जॉच करने हेतु अपने अधिनस्त को निर्देशित करने की कृपा करेंगें। जिसके कम में आप अपने अधिकरी/कर्मचारियों, राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर कितने वृक्ष काटे गये हैं की सूचना से अवगत कराने की कृपा करेंगे, जिससे **उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत** की गयी कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जा सके।

संलग्न– शिकायतकर्ता की आख्या। (दो)

भवदीया,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

पत्रांकः–3144**/उक्तदिंनाकित।**

प्रतिलिपि– प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र, काशीपुर/कुण्डेश्वरी, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन क्षेत्राधिकारी, काशीपुर रेन्ज, तराई पश्चिम वन प्रभाग, रामनगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– तहसीलदार, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उपजिलाधिकारी/संयुक्त मजिस्ट्रेट, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय ... काशीपुर वन क्षेत्र
07/8/23

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त रिपोर्ट - उपस्थिति

आज दिनांक - 26-09-2023 को श्री नकुल कुमार गुप्ता, उमेश कुमार गुप्ता, श्री सुधीर गुप्ता व सतीश कुमार गुप्ता के आम - चौहुर (गौशाला रोड / जसपुर) में दर्ज ने गुप्ता सभी के बगीची में खड़े आम, लीची आदि वृक्षों के सम्बन्ध में जाँच हेतु राजस्व विभाग, फल उद्यान विभाग, सम्बन्धित थानाध्यक्ष / प्रतिनिधि व शिकायत कर्ता को मौके पर बुलाकर बगीचों में खड़े विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का शिकायत कर्ता को शिकायत अनुसार मौके पर वृक्षों की गणना की गयी, गणना कार्य हेतु मौके पर निम्न कर्मचारी / अधिकारीगण उपस्थित रहे ⟵

1- श्री देवेन्द्र सिंह रजवार वन क्षेत्राधिकारी काशीपुर —
2- " प्रदीप कुमार धौलाखंडी A.C.F. रामनगर
3- " अभय प्रताप सिंह S.D.M. काशीपुर ——
4- " युसुफ अली तहसीलदार काशीपुर ———— 26/09/2023
5- डॉ० भावना जोशी मुख्य उद्यान अधिकारी ऊधमसिंहनगर
6- श्री रेवाधर भट्ट S.H.I. मुख्यालय जसपुर ——
7- " गोपाल राम S.H.J. —— " ——
8- " एस० एल० कोहली S.H.I. जसपुर ———
9- " रामसिंह राजस्व निरीक्षक काशीपुर
10- कु० निर्मला मनौला उप राजस्व निरीक्षक गोपीपुर काशीपुर
11- श्री नरेन्द्र सिंह उद्यान सहा० जसपुर ——
12- " राकेश कुमार ——— " —— Rakesh
13- " तरसेम सिंह वन बीट अधि० Tarsem Singh
14- " रमेश चन्द्र उपराजिक ———
15- " नवीहसन रेंजधीन वायरलेस —— N. Hasan
16- " हरदीप शर्मा शिकायतकर्ता ———
17- " इशरत अली ————
18- " शक्ति प्रकाश अग्रवाल —— S. Agarwal
19- " सचिन अग्रवाल ——— Sachin 26/9/2023
20- " सुरेन्द्र अग्रवाल —— Surendra

गणना टीम निम्नप्रकार

1- श्री गोपाल राम S.H.O.
2- " एस॰ एन॰ त्रिवेदी S.H.I.
3- " देवाराम भट्ट S.H.P.
4- " नरसिंहसिंह मनवीर सिंह
5- कु॰ निर्मला उप॰ नि॰
6- श्री रामसिंह स॰ नि॰ निरीक्षक
7- " रमेशचन्द्र उपनिरीक्षक
8- " सिद्धान्त ओमा

26/12/2003

संलग्नक-16

संयुक्त निरीक्षण आख्या.

आज दिनांक 26-9-23 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंहनगर के निर्देशानुसार गठित टीम उद्यान विभाग, वनविभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम चांदपुर तहसील काशीपुर के खसरा नम्बर 146, 154, 155, 156, 157, 145, 147, 152, 153 में श्री नकुल गुप्ता, सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार के नाम दर्ज भूमि वर्ग-1 क संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है. प्रश्नगत खसरा नम्बरान में आम, लीची, नाशपाती, कटहल, जामुन का बाग रहा था जिसमें राजस्व विभाग द्वारा 150 वृक्षों की सूचा मिलने रिपोर्ट दी गयी. उद्यान विभाग द्वारा मौके की जांच कर वृक्ष पातन हेतु स्वीकृति दी गयी थी. तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा 150 वृक्ष के अतिरिक्त 44 वृक्ष बिना अनुमति के काटे गये। जिस पर वन विभाग द्वारा नियमानुसार 440000=00 रुपया जुर्माना वसूला गया. शिकायत कर्ता श्री हरदीप शर्मा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया कि स्वीकृति एवं जुर्माना वसूल किये गये वृक्षों की संख्या से अधिक वृक्षों का पातन किया गया है। शिकायत कर्ता के उपस्थिति में आज दिनांक 26-9-23 को प्रातः 11.30 बजे उपजिलाधिकारी काशीपुर, मुख्य उद्यान अधिकारी ऊधमसिंहनगर, उपप्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा अपर जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के निर्देशानुसार संयुक्त टीम द्वारा उपस्थिति पत्र तैयार किया गया, जिस पर सबके हस्ताक्षर मौजूद है. पत्र संलग्न है शिकायत कर्ता उपस्थिति में टीम द्वारा वृक्षों की गणना प्रारम्भ की गयी. गणना का कार्य 6:00 बजे सायं तक चला. वृक्षों की गणना का विवरण निम्न प्रकार है. मौके पर कोई खूंट नहीं पाया गया.

1- आम — 505
2- लीची — 320
3- नाशपाती — 50
4- कटहल — 2
5- जामुन — 2

कुल — 879

उपरोक्त वृक्ष मौके पर खड़े एवं जीवित पाये गये है.

~ श्री धीरेन्द्र सिंह वन क्षेत्राधिकारी - [signature]
1- श्री प्रदीप कुमार धौलाखंडी AOF [signature]
3- श्री मुकुल अली तहसीलदार काशीपुर - [signature]
4- श्रीमती भावना जोशी C.H.O ऊधमसिंहनगर [signature]

5- श्री अभय प्रताप सिंह S.D.M. [signature] 26/09/23
6- श्री हरदीप शर्मा शिकायत कर्ता [signature]

Scanned with OKEN Scanner

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Chamunda Complex, Ramnagar Road
Kashipur, US Nagar.

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर.ओ.के./2024/ रिट-90/84 दिनांक 18/5/24

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन मे संयुक्त जांच आख्या के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-UKPCB/ROK/सा0-183-757/2024/1534 दिनांक 02.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 तथा 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित स्थल का निरीक्षण दिनांक 16.04.2024, 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया।

अतः संयुक्त जांच आख्या समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
18/5/24
(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ऊधमसिंहनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल।
3. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
4. श्री रूना उरौवं, वैज्ञानिक घ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
5. उप जिलाधिकारी काशीपुर।
6. जिला उद्यान अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
7. श्री संदीप गिरी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर ऊधमसिंहनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 व दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, श्री हरदीप शर्मा बनाम रमेश चंद्र आर्या एवं अन्य में दिनांक 15.02.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constituted a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, DFO, Udham Singh Nagar, State PCB and District Magistrate, Udham Singh Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associates the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. the State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रकरण पर जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी, काशीपुर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित प्रतिनिधि श्री रूना उरॉव, वैज्ञानिक घ, प्रभागीय वनाधिकार, प्रभागीय वन प्रभाग तराई पश्चिमी, रामनगर की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री संदीप गिरी, उपप्रभागीय वनाधिकारी, जसपुर तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नामित प्रतिनिधि श्री नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 16.04.2024 को शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामी की ओर से श्री सत्यम अग्रवाल तथा श्री सिद्धान्त गोयल आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया (उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-1)।

निरीक्षण की दिनांक 16.04.2024 को उक्त भू-खण्ड पर पेड़ो/पौधों की संख्या की गिनती राजस्व व अन्य विभागों के दिनांक 19.04.2024 को नैनीताल-ऊधमसिंहनगर संसदीय क्षेत्र सहित उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के निर्वाचन दायित्वों में लगे होने के कारण नही की जा सकी।

दिनांक 25.04.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण पर निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"Report of the joint Committee and replies/responses by respondents no. 11 to 14 be filed within two months by email judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

उपरोक्त आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समीति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विषयगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को किया गया(उपस्थिति संलग्न, संलग्नक-2)।

संयुक्त जांच आख्या निम्नवत् है-

के समय पाया गया कि, ग्राम चांदपुर, त०-काशीपुर के भू-खण्ड, खाता संख्या-00027, 00125, 00126 व 00208 में कुल रकबा 9.910 हैक्टेअर पर लगभग चारो ओर बाउन्ड्रीवाल की गयी है। उक्त भू-खण्ड के मध्य में भू-स्वामी का पुराना मकान/कोठी है, जिसे अन्य भू-खण्ड से पृथक करते हुए बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त शेष भू-खण्ड, जो कि उक्त मकान/कोठी के बायें व दाहिनी तरफ स्थित है, पर लगभग 60 फिट, 35 फिट, 25 फिट चौड़ी आदि आर.सी.सी. निर्मित सड़कों का निर्माण किया गया है। उक्त भू-खण्ड पर सड़क निर्माण तथा गेट निर्माण का कार्य एवं भूखण्ड के दो प्लाटे पर भवन निर्माण का कार्य चलता हुआ पाया गया। उक्त भू-खण्डों पर आम, लीची, नाशपाती सहित अन्य छोटे-बडे वृक्ष भी पाये गये।

2. उक्त खाता संख्या-00027, 00125, 00126, 00208, कुल रकबा 9.910 हैक्टेअर भूमि में वर्ष 2021 से पूर्व खाता संख्या-00027, में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00126 में श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, खाता संख्या-00125, श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव, नकुल कुमार पुत्र श्री महेश कुमार, खाता संख्या-00208, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव के नाम पर दर्ज थी। श्री उमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव तथा श्री महेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेव की मृत्यु के पश्चात वर्ष-2021 में उक्त भू-खण्ड श्री नकुल कमुार, श्री सुधीर कुमार, श्री मनीष कुमार, श्रीमति राजेश गुप्ता तथा श्री सुरेश कुमार के नाम दर्ज हो गयी। जो कि वर्तमान में अनेक छोटे-बडे भू-खण्डों में विक्रित होकर लगभग 72 भू-स्वामियों के नाम दर्ज अभिलेख है तथा उक्त भूखण्डों में खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-150 कुल रकबा-1.088 हैक्टेयर भूमि अकृषक दर्ज है, शेष कृषि भूमि दर्ज है।
(खतौनी संलग्न, संलग्नक-3)।

3. उक्त भू-खण्ड स्वामियों श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के 25 वृक्षों तथा खसरा संख्या-157 आम के 50 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार श्री नुकुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री महेश कुमार द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147 में आम के 60 वृक्षों के पातन तथा श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री नरेश कुमार गुप्ता द्वारा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 में आम के 50 वृक्षों के पातन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रार्थना पत्रों की छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-4)।

4. उक्त प्रार्थना पत्रों के अनुक्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु अपने पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा खाता संख्या-125 के खसरा संख्या-145, 152, 153, 147, खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 तथा खाता संख्या-0027 के खसरा संख्या-156 पर आम के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी (संलग्नक-5)।

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
2. श्री आर.डी. भट्ट, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

Scanned with OKEN Scanner

श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2022 को खाता संख्या-0027 के खसरा नं0-157 में लीची के वृक्षों के पातन हेतु प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नानुसार 3 सदस्यों की समीति गठित की गयी-(संलग्नक-6)

1. श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान सचल केन्द्र, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री गोपाल राम, सहायक विकास अधिकारी, कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान सचल केन्द्र, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, उधमसिंहनगर।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु दिनांक 19.12.2022 को श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक तथा श्री के.एल. सागर, सहायक विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें वृक्षों के पातन न किये जाने की संस्तुति की गयी। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या-5 में बाग में कुल वृक्षों की संख्या निम्नानुसार अवगत करायी गयी (संलग्नक-7)।

1. आम के वृक्ष-718(278 आम वृक्ष लगभग 50 साल, शेष वृक्ष 2 साल से 10 साल)।
2. लीची के वृक्ष-334(लीची वृक्ष की आयु 6 साल से 35 साल)।
3. नाशपाती के वृक्ष-48(नाशपाती वृक्ष लगभग 6 साल)।
4. कटहल के वृक्ष-01(कटहल वृक्ष 15 साल)।

<u>उपरोक्तानुसार कुल वृक्षों की संख्या 1101 है।</u>

5. उक्त निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 के क्रम में दी गयी संस्तुतियों के विरुद्ध प्रार्थियों द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंनगर को दिनांक 28.12.2022 को आपत्तियां प्रस्तुत करते हुये पुनः स्थलीय निरीक्षण कर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त आवेदन के कम में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बाग काफी बड़ा होने एवं पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण वृक्षों के पातन हेतु राजस्व विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समीति गठित कर संयुक्त निरीक्षण कराये जाने हेतु दिनांक 03.01.2023 को संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, काशीपुर को पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-8)।
6. उक्त अनुरोध के कम में तहसीलदार, काशीपुर द्वारा दिनांक 12.01.2023 को श्री राम सिंह, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर, कु0 निर्मला मनौला, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र काशीपुर तथा उद्यान विभाग के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों श्री रेवाधर भट्ट तथा श्री शंकर लाल कोहली को संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-9)।
7. उक्त गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.01.2023 तथा 22.01.2023 को सम्बन्धित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अपनी जांच रिपोर्टें तहसीलदार, काशीपुर के माध्यम से दिनांक 17.01.2023 व 31.01.2023 को मुख्य उद्यान अधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित की गयी (संलग्नक-10)

जांच आख्याओं के आधार पर आवेदित खसरा संख्याओं में आम के कुल-128 वृक्ष तथा लीची के कुल-22 वृक्षों के पातन की सशर्त अनुमति जिला उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 19.01.2023 तथा 06.02.2023 को निर्गत की गयी (संलग्नक-11)।

9. उक्त पातन के सम्बन्ध में सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में वन विभाग द्वारा की गयी जांच के आधार पर 150 वृक्षों के पातन की स्वीकृति के अतिरिक्त 88 वृक्षों के बिना अनुमति पातन पर वन विभाग द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा -4 व 10 के अन्तर्गत रू0 4,40,000/- का जुर्माना आरोपित किये जाने एवं वसूले जाने की सूचना दिनांक 19.07.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर को दी गयी (संलग्नक-12)।

10. इससे पूर्व सी.एम. हैल्पलाईन में दर्ज शिकायत के क्रम में उद्यान विभाग के श्री जगदीश चन्द्र तिवारी, ज्येष्ठ उद्यान अधिकारी तथा श्री दिवाकर पाण्डे, सहायक विकास अधिकारी द्वारा उक्त बाग का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 24.05.2023 तक कुल जीवित पौधों की संख्या-531, काटे गये पेड़ो की संख्या-470 अवगत करायी गयी जिसमें 150 वृक्षों की अनुमति तथा बिना अनुमति के काटे गये 88 वृक्ष भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त प्लाटिंग के अन्दर 90 प्रतिशत हानि पहुंचाये गये वृक्षों की संख्या 178 भी अवगत करायी गयी (संलग्नक-13)।

11. उक्त [illegible] के फसली वर्ष 1430 (2022-2023) के खसरा नकल के अनुसार उक्त भूखण्ड पर आम के 505 वृक्ष, लीची के 320 वृक्ष, नाशपाती के 50 वृक्ष, कटहल के 2 वृक्ष तथा अन्य 15 वृक्ष दर्ज अभिलेख है। नकल की छायाप्रति [illegible] है (संलग्नक-14)।

12. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा दिनांक 26.09.2023 को सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा (मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, के आवेदक) तथा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी, काशीपुर, मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर, उपप्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर, वनक्षेत्राधिकारी, काशीपुर, तहसीलदार, काशीपुर सहित राजस्व विभाग, वन विभाग व उद्यान विभाग के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। संयुक्त टीम द्वारा वृक्षों की गणना की गयी। तत्समय मौके पर खड़े एवं जीवित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी (संलग्नक-15)।

1. आम-505
2. लीची-320
3. नाशपाती-50
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-879 वृक्ष पाये गये।

उक्त योजित मूल आवेदन संख्या-147/2024, में पारित आदेश दिनांक 25.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा उद्यान विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को सम्मिलित करते हुये शिकायतकर्ता श्री हरदीप शर्मा तथा भू-स्वामियों की उपस्थिति में

-6-

सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.05.2024 तथा 10.05.2024 को करते हुये उक्त भू-खण्ड में वृक्षों की गणना की गयी। निरीक्षण के समय मौके पर खड़े वृक्षों की संख्या निम्नानुसार पायी गयी। (संलग्नक-16)।

1. आम-411 (13 वृक्ष सूखे एवं अन्य पीड़ित)
2. लीची-263
3. नाशपाती-25
4. कटहल-2
5. जामुन-2

उपरोक्तानुसार कुल-703 वृक्ष पाये गये।

उक्त सम्पूर्ण भू-खण्ड में की गयी फलदार वृक्षों की गणना के अनुसार वर्तमान में दिनांक 26.09.2023 को की गयी गणना के सापेक्ष आम के 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष, नाशपाती के 25 वृक्ष, कुल-176 वृक्ष कम पाये गये। इस सम्बन्ध में भू-खण्ड स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि, उक्त में से 165 वृक्षों को अन्यत्र प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में भू-स्वामियों के प्रतिनिधियों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा वृक्षारोपण, जन सेवा समीति (रजि0) नामक संस्था का पत्र प्रस्तुत कराया गया है(संलग्नक-17)। उक्त सम्बन्ध में वृक्षों के अन्यंत्र प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में भू-स्वामियों द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। वन विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि वृक्षों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी नियम विद्यमान नहीं है। इस संबंध में उपरोक्तानुसार, कम पाये गये कुल 176 वृक्षों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय काशीपुर द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंहनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.03.2021 प्राप्त कराया गया है (संलग्नक-18)। उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार उक्त चांदपुर ग्राम विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रस्तुत है

(नरेश गोस्वामी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर,
ऊधमसिंहनगर।

(संदीप गिरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, जसपुर,
ऊधमसिंहनगर।

(रुना उरॉव)
वैज्ञानिक 'ए'
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।

(अभय प्रताप सिंह)
उप जिलाधिकारी
काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः– मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन रूद्रपुर।
☎ / 🖷:–05944–250447– Email-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 225 /NGT/2024–25, दिनाँक 22/05/2024

सेवा में

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46वीं
आई0टी0 पार्क सहस्त्र धारा रोड देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0 यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–757/2024 248/दिनॉक 21.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे।

उक्त पत्र में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा गठित टीम के निरीक्षण दिनॉक 26.09.2023 को विषयगत स्थल में की गयी वृक्षों की गणना तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित कमेटी के निरीक्षण दिनॉक 08.05.2024 एवं 10.05.2024 में की गयी वृक्षों की गणना में कुल 176 वृक्ष कम पाये गये के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हैं। उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यो द्वारा दिनॉक 16.04.2024, 08.05.2024 एवं 10.05.2024 को Factual and Action Taken Reports तैयार की गयी हैं।

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष एवं नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया हैं। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग द्वारा वन अपराध सं0 03/काशी0/2024–25, पंजीकृत किया गया हैं तथा उक्त के सम्बन्ध में पत्रांक 223/एन0जी0टी0/2024–25, दिनॉक 22.05.2024 के द्वारा प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर को वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु वन विभाग को आवश्यक सहयोग करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

पत्रांक 225 /उक्तदिनॉकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंहनगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः— मुख्य उद्यान अधिका... मसिंह नगर, विकास भवन रूद्रपुर।

☎ / ✉ —05944—2504   all-horti.usn@gmail.com

पत्रांक 223 /NGT/2024–25,   दिनाँक 22/05 /2024

प्रभारी

उद्यान सचल दल केन्द्र काशीपुर

जनपदः—ऊधमसिंहनगर।

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 147/2024 हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द आर्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46वीं आई0टी0 पार्क सहस्त्र धारा रोड देहरादून के पत्र सं0 यू0के0पी0सी0वी0/एच.ओ./सा0–183–757/2024 248/दिनॉक 21.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा गठित टीम के निरीक्षण दिनॉक 26.09.2023 को विषयगत स्थल में की गयी वृक्षों की गणना तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित कमेटी के निरीक्षण दिनॉक 08.05.2024 एवं 10.05.2024 में की गयी वृक्षों की गणना में कुल 176 वृक्ष कम पाये गये के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हैं। उक्त प्रकरण में गठित कमेटी के सदस्यो द्वारा दिनॉक 16.04.2024, 08.05.2024 एवं 10.05.2024 को Factual and Action Taken Reports तैयार की गयी हैं।

उक्त रिपोर्ट में कुल 176 वृक्षों जिसमें आम 94 वृक्ष, लीची के 57 वृक्ष एवं नाशपाती के 25 वृक्ष समिति की निरीक्षण आख्या के अनुसार अतिरिक्त पातन होना पाया हैं। अतिरिक्त पातित वृक्षों के पातन पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग द्वारा वन अपराध सं0 03/काशी0/2024–25, पंजीकृत किया गया हैं तथा जॉच कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। आपको निर्देशित किया जाता हैं, कि आप वन संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 व 10 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु वन विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

पत्रांक 223 **/उक्तदिनॉकित।**

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर नैनीताल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उपजिलाधिकारी महोदय काशीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंहनगर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
ऊधम सिह नगर।

Scanned with OKEN Scanner